विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

देश में मतदाता सूचियों का एसआईआर यानी (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रारम्भ होने जा रहा है

चुनाव आयोग अब बिहार के बाद पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूचियों का करने जा रहा है। राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को इस हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशन जारी किये हैं और कहा है कि अपने–अपने राज्यों के मतदाता की स्थिति, गत पुनरीक्षण प्रक्रिया और वर्तमान् तैयारी के बाबत प्रेजेन्टेशन तैयार करें ताकि भविष्य में शीघ्र ही विशेष बैठक में इस विशेष विषय पर चर्चा हो सके और अगला रोड मैप तैयार कर सकें।

बिहार में एसआईआर को लेकर कई रिट् याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं, उनमें वैधानिक व कानूनी आपत्तियां मतदाता सूचियों के बाबत उठाई गई हैं। इस विवाद ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है, देश में जगह–2 आन्दोलन हो रहे हैं बिहार में यात्रायें निकाली जा रही हैं। रिट् याचिका में SIR की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है, मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित हो चुका है, उन पर सुधार हेतु प्रतिवेदन मांगे गये हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। समय–2 पर दिये गये निर्देशनों पर अमल हो रहा है। निर्णय शीघ्र होने की संभावना है।

चुनाव आयोग का मानना है कि शहरीकरण और मजदूरों के पलायन व अवैध माइग्रेन्ट के और अन्य कारणों से मतदाता सूचियों में कई दोष व त्रुटियां पाई गई हैं। अत: चुनाव आयोग बहुत गम्भीरता से मतदाता सूचियों की SIR कराकर शुद्धिकरण युद्ध स्तर पर कराना चाहता है और उसका संवैधानिक दायित्व भी है।

बिहार में एक बडी समस्या बांग्लादेश व म्यांमार व अन्य देशों से आये वहां के नागरिकों के बसने के कारण उत्पन्न हुई है, वे अवैध प्रवासी हैं। ऐसे में उनकी पात्रता की गहन जांच आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति में चुनाव आयोग 10 सितम्बर 2025 को राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया है, जिसमें अगली SIR पर चर्चा होगी। इस काम में लगने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को परीक्षण भी दिया जावेगा। चुनाव आयोग अधिकारियों से सुधार हेतु सुझाव भी आमंत्रित करेगा।

यहां यह कहना आवश्यक है कि किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है, वहां चुनावों की प्रक्रिया की शुद्धता पर ही उसकी प्रगति व सफलता निर्भर करती है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदो, विधायकों, संवैधानिक पदों के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व चुनाव आयोग को दिया है। संविधान के अनुच्छेद 326 में चुनाव में मतदाता को वयस्क मताधिकार दिया है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे मतदाता माना है। चुनावों की प्रक्रिया क्या होगी, इसके सम्बन्ध में संसद को अधिकार दिया है, वह कानून बना कर संचालन की व्यवस्था करेगी, जो संविधान के उपबन्धों के अधीन होगी। इसका अर्थ है कि संसद का कानून किसी भी प्रकार अनुच्छेद 324, 326 में दिये गये अनुबन्धों को सीमित नहीं करेगा। साथ ही अनुच्छेद 329 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन (चुनाव) के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित कर दिया। हाँ, यदि कोई निर्वाचन सम्बन्धित मामला है तो वह चुनाव याचिका दायर कर ही निर्णित कराया जा सकेगा। चुनाव याचिका सुनने का अधिकार राज्यों के हाईकोर्ट को दिया गया है।

यहाँ लिखना समीचीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिन रिट् याचिकायों की सुनवाई हो रही हैं वे सब रिट् याचिकायें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् हैं, और विषय है 'मतदाता सूची' अर्थात् मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ताकि मतदाता सूचियों की त्रुटियां सही की जा सके। चूंकि मतदाता केवल देश का नागरिक ही हो सकता है और नागरिक कौन है, इसका मापदण्ड संविधान के अनुच्छेद 6 से अनुच्छेद 11 में दिया गया। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की पहिचान और पात्रता की गहन जांच आवश्यक। अत: सम्मेलन में तय किया जावेगा कि ऐसे कौनसे डोकूमेन्ट्स हो सकते हैं, जिनसे इस सम्बन्ध में सहायता ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 08.09.2025 के आदेश में माननीय खण्डपीठ ने SIR रिट्स (No. 640/2025) की सुनवाई करते हुये दिया उसमें कहा कि आधार 12वां डोकूमेंट की लिस्ट में लिया जावे, जिनके आधार पर Identity (पहिचान) के हेतु रिवाइज्ड वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि आधार की प्रमाणिकता की जांच भी की जा सकती है। चुनाव आयोग के एडवोकेट ने न्यायालय को स्पष्टीकरण देते हुये बहस की है कि नागरिकता को साबित करने के लिए आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता और जिन डोकूमेन्ट की पहिचान (Identity) के लिए माना है, उस पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, चुनाव आयोग अवैध माइग्रेन्टस को मतदान के हेतु योग्य नहीं मान सकता, केवल उन्हें ही मतदाता सूची से अलग किया जावेगा। बहस के हेतु 15 सितम्बर, 2025 की आगामी तारीख दी गई है। आशा है बैठक में भी इन विवादों पर चर्चा से कोई ठोस परिणाम समस्या के निदान का निकलेगा।

यहां यह कहना आवश्यक है कि किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है, वहां चुनावों की प्रक्रिया की शुद्धता पर ही उसकी प्रगति व सफलता निर्भर करती है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदो, विधायकों, संवैधानिक पदों के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व चुनाव आयोग को दिया है।

उपरोक्त को भली–भांति समझने के लिये पाठकों की सुविधा के लिये संविधान के अनुच्छेद 324, 326 व 329 को यहां उद्धृत किया जा रहा है:–

"अनुच्छेद 324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।"

(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान–मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि को हों. जितने राष्ट्रपति समय–समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बना ग विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(3) ....

(4) ....

(5) ......

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।"

"अनुच्छेद 326– लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। – लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान–मंडल द्वारा बना ग किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम (अठारह वर्ष) की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान–मंडल द्वारा बना ग किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।"

"अनुच्छेद 329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।"

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बना ग या बना जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन–क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए को निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की ग है जिसका समुचित विधान–मंडल द्वारा बना ग विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।"

आशा की जा सकती है कि चुनाव आयोग द्वारा उक्त बैठक में स्पष्ट निर्देश जारी किये जावेंगे और शुद्ध मतदाता सूची विधिवत जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा। चुनाव आयोग ने न्यायालय के समसक्ष अपने एडवोकेट के द्वारा, स्पष्ट किया है कि कुल 7.24 करोड़ वोटर्स के नामों में से 99.6इ वोटर्स ने अपने नाम ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट में शामिल करने हेतु फॉर्म भर कर दे दिये हैं। विवाद जो शेष है वह घ्र्तुेंत र्शुेंहू (अवैध प्रवासियों) का है। 65 लाख तथाकथित मतदाताओं के नाम काटे हैं, उसमें तीन केटेगरी के लोग हैं, मृतक, अवैध प्रवासी और वे हैं जिनके नाम दो जगह हैं। अब तक आरजेडी नेता ने केवल 265 नाम बताये हैं, जिनका नाम काटा गया है। फर्जी कागजात पेश करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी।

राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। बैठक में चुनाव अधिकारियों को निर्देश देते हुये स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जावे और अपात्र इसमें शामिल नहीं हो। आधार कार्ड को 11 अन्य दस्तावेजों के साथ शामिल किया जावे। राज्य के बाहर से आने वाले विदेशी अवैध प्रवासियों की जांच की जावे उनसे घोषणा–पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसम्बर, 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने माता–पिता की जन्मतिथि/जन्म स्थान के सम्बन्ध के दस्तावेज लिये जावें। यह भी निर्देश दिये हैं कि चुनाव अधिकारी मतदाता घर–घर जाकर सत्यापन करें ताकि मतदाता सूची दोष मुक्त हो।

गलतियाँ हुई हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। अन्य राज्यों में एंई के विरूद्ध नई याचिकाओं का उद्देश्य भी यही है कि सभी राज्यों में शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो। मतदान करना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है न कि मूल अधिकार।

सबको सन्मति दे भगवान्!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

उपराष्ट्रपति और उनके संवैधानिक दायित्व

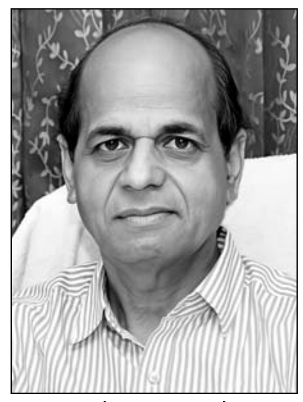

डॉ. कैलाश चन्द सैनी

नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चन्द्रपुरम मोन्नुसामी राधाकृष्णन यानी सी.पी. राधाकृष्णन के नाम के साथ ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण होना स्वाभाविक है। 20 अक्टूबर 1957 को जब तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ तो इनके माता–पिता ने उनके नाम के साथ राधाकृष्णन जोड़ दिया, ताकि उनका बेटा भी डॉ. एस. राधाकृष्णन की तरह बड़ा आदमी बने। माता–पिता ने जिस उम्मीद से बेटे का नाम रखा आखिर वह 9 सितम्बर 2025 को इनके उपराष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही साकार हो गई। एनडीए ने सी.पी. राधाकृष्णन को जब उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया तब उनकी माता जानकी अम्माल ने उनके नाम के पीछे की यह कहानी बताई थी।

सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 17वें तथा व्यक्तियों के हिसाब के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। निर्वाचित 15 उपराष्ट्रपतियों में डॉ. एस. राधाकृष्णन (1952–57, 1957–62) तथा मोहम्मद हामिद अंसारी (2007–2012, 2012–17) दो–दो बार इस पद पर रहे।

उपराष्ट्रपति रहे भैरोंसिंह शेखावत एवं जगदीप धनखड़ ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। देश के 15 उपराष्ट्रपतियों में से डॉ. राधाकृष्णन, डा. जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरि, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शकंर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन आगे चलकर राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। नये उपराष्ट्रपति की शालीनता और संगठनात्मक अनुभव के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि वे संसदीय शुचिता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। उनके नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही अधिक समावेशी और उत्पादक हो सकती है, विशेषकर जब पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान के चलते संसद के कामकाज में निरंतर व्यवधान होना एक निन्दनीय परम्परा सी बनी हुई है।

हमने उपराष्ट्रपति के पद के संवैधानिक दायित्व की अवधारणा को राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली वाले अमेरिका से लिया है जहां की सीनेट (उच्च सदन) का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) के पदेन सभापति के रूप में उसकी भूमिका सभा के सुचारू संचालन और सदन की गरिमा एवं मर्यादा को बनाये रखने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वह नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। वह सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय लेने तथा विधेयकों और प्रस्तावों को समितियों को विस्तृत जांच के लिए सम्बन्धित संसदीय समितियों को भेजता है। राज्य सभा में किसी मामले पर मतदान के दौरान मत बराबर होने की स्थिति में, सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के निधन या पदत्याग या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नये राष्ट्रपति की नियुक्ति तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या उनकी बीमारी या अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। भारत में कई बार उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया गया है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। उदाहरण है कि राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की सोवियत संघ की यात्रा के समय वर्ष 1960 में तथा बाद में उनके अस्वस्थ होने पर 1961 में उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने भी राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की अस्वस्थता व अन्य कारण से दो बार राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया।

राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन पर उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने तथा राष्ट्रपति डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह के विदेश में उपचार हेतु जाने पर उनके पद के दायित्वों का निर्वहन किया। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियों का उपयोग करते हैं। कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा वे सभी कार्य सम्पादित किये जाते हैं जो राष्ट्रपति नियमित रूप से करते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के कत्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सभा के उपसभापति द्वारा सभा का संचालन किया जाता है। सभापति के समान ही उप सभापति भी राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते समय सदन के समस्त नियमों और प्रक्रियाओं को लागू कर सकते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में उपसभापति की भूमिका और अधिकार सभापति के समकक्ष होते हैं। आवश्यक होने पर सभापति सभा के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए वारंट जारी करता है।

दिनांक 21.12.1967 एवं 18.3.1982 को राज्य सभा की दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने व नारे लगाने वाले व्यक्तियों को साधारण कारावास का दंड देने पर सभापति ने अपराधियों को जेल अधीक्षक को सौंपने के वारंट जारी किये थे। दिनांक 21.11.1983 को दर्शक दीर्घा से नारे लगाने एवं चप्पल फेंकने वाले एक दर्शक को सभा ने एक संकल्प द्वारा जब सत्र की समाप्ति तक साधारण कारावास का दंड दिया तो सुपुर्दगी वारंट उप सभापति के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई वेतन नहीं मिलता। वह राज्य सभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त करता है। उसका वेतन एवं भत्ते संसद के अधिकारी वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1953 और इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। चूँकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता इसलिए उसे राज्य सभा से पेंशन नहीं मिलती। भारत के उपराष्ट्रपति को पेंशन तो मिलती है लेकिन वह उसके त्यागपत्र देने या कार्यकाल की समाप्ति के बाद 'उपराष्ट्रपति (पेंशन) एक्ट, 1997' के अन्तर्गत मिलती है। यदि उपराष्ट्रपति दुर्व्यवहार के कारण हटाए गए हों, तो उन्हें पेंशन और बाकी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति सम्बन्धी प्रावधान पर संविधान सभा में 28 दिसम्बर 1948 को कोई ठोस बहस नहीं हुई थी। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 53 पर उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाना तय किया गया। यह भी निश्चित किया गया कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 54 के अधीन किसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब वह राज्य सभा के सभापति के पद के कत्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यह भी तय किया गया कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब उसे राष्ट्रपति का वह वेतन दिया जायेगा जो उस पद के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह संविधान के अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को देय वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होता।

उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के अन्तर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान–मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष के समान राज्य सभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है जो अधिक लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। यह राज्यसभा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है। उसे भी सभापति के समान संसद के अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम के तहत वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। जब सभापति का पद रिक्त हो या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तब सभापति के कत्तव्यों का पालन उपसभापति द्वारा ही किया जाता है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2019 से लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभा का कामकाज सभापति तालिका के सदस्यों के सहयोग से सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति को यदि सभापति के रूप में सम्पूर्ण दायित्व सौंप दिये जाये तो भी राज्यसभा का कामकाज उपसभाध्यक्ष तालिका के सदस्यों के सहयोग से सक्षम रूप से संचालित किया जा सकता है।

- डॉ. कैलाश चन्द सैनी,
पूर्व मुख्य शोध एवं संदर्भ अधिकारी
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर

"राजस्थान रत्न" कन्हैयालाल सेठिया – साहित्य की अखंड ज्योत

महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की जन्म जयंती पर विषेश...........

रचना सरन

"धरती धोरां री!
आ तो सुरगां नै सरमावै,
ई पर देव रमण नै आवै,
ई रो जस नर नारी गावै,
धरती धोरां री!"

बचपन में जब यह गीत स्कूल में सुनते थे, तब यह किसी देववाणी से कम नहीं लगता था। यह गीत राजस्थान के राष्ट्रगान के रूप में राजस्थान की पहचान था और मुझे बहुत अपना सा लगता था। वर्षों बाद कोलकाता में जब सिद्धार्थ सेठिया जी से भेंट हुई तो उनका परिचय भी इन पंक्तियों के साथ हुआ था की आप "धरती धोरा री" गीत के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया जी के पौत्र हैं। मेरी खुशी का पारावार ना रहा जब उन्होंने मुझे कन्हैयालाल सेठिया जी की हिन्दी कविताओं का संग्रह समग्र (खण्ड एक और दो) भेजा। जुगल किशोर जैथलियाजी द्वारा संपादित समग्र के दो खण्डों में सेठिया जी के हिंदी के 18 ग्रन्थों एवं उर्दू के दो ग्रन्थों का समावेश है। प्रथम खण्ड में 'वनफूल' से लेकर 'अनाम' तक के ग्रन्थों की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। द्वितीय खण्ड में 'निर्ग्रन्थ' से लेकर 'गुलचीं' तक के दस ग्रन्थों का संग्रह है। इन रचनाओं के शीर्षक का विस्तार 'अ' से वर्णमाला के 'ह' अक्षर तक है। क्ष,त्र,ज्ञ से प्रारंभ होने वाले शीर्षक की रचनाएं भी हैं।

'वनफूल' ग्रन्थ की शुरुआत से पहले सेठिया जी का संदेश है, जो उनके जीवन की दुभरताओं का भान कराता है। वे लिखते हैं, 'वनफूल' आपके सामने है। यह अभी कुछ कुम्हलाया हुआ–सा है, क्योंकि निष्ठुरता की लू के झकोरे प्रबल थे और जीवन की भरी दुपहरी में यह लाया गया है।" पहली कविता 'कली–कली' की कोमल अभिव्यक्ति ने उनकी मानवीय संवेदनाओं को प्रबलता से दर्शा दिया। कविताओं में प्रेम की व्यथा, निराशा, विरोध, कहीं क्रोध तो कहीं संतोष का भाव उजागर होता है।

सरल शब्दों में बड़ी बात लिख दी गई है --

"जग है कारागार!
क्रोध- द्वेष की कटु जंजीरें,
मोह- जाल की दृढ़ प्राचीरें,
बन्दी रखती हैं मानव को, दे चिंता का भार।
जग है....."

1942 में प्रकाशित ग्रन्थ 'अग्निवीणा' की कविताओं में तेज है, बल है, प्रेरणा है और देश के प्रति उनके हृदय में बसी भक्ति व समर्पण की भावना है। और होती भी क्यों नहीं... उन्होंने अपने छात्रजीवन के अनेक वर्ष स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित किये हैं। 'अग्निवीणा' पर बीकानेर राज्य में इन पर राजद्रोह का मुक़दमा चला, जस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही समाप्त हुआ। बाद में राजस्थान सरकार ने इनको स्वतंत्रता–संग्राम सेनानी के रूप में सम्मानित भी किया, किंतु उन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। 'मेरा युग' 1947 ई0 में पहली बार प्रकाशित हुआ ,जिसके प्रवेश में सेठिया जी कहते हैं," मेरा युग आपका युग भी है। इस युग में एक और जहां महामानव बापू की पावन तपस्या फलीभूत हुई तो दूसरी और मानव पशुओं का नशंस ताण्डव भी इसकी ही छाती पर हुआ। चरमता और निम्नता दोनों की ही स्वाभाविक आकृतियों ने युग की खिड़की से झांक कर देखा है..." यह ग्रन्थ स्वतंत्रता, बापू व उनका गांधीवाद और उस समय की सामयिकता को समर्पित है। उनकी कविता "मन्दिर–मस्जिद" आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। विनोबा, माउंटबेटन, जयप्रकाश, बापू का फ्यूहरर को पत्र, दो कलंक – जिसमें सालाजर, हिटलर और चर्चिल विषय–वस्तु हैं, हैदराबाद और एशिया इत्यादि ऐसी कविताएं हैं जो पाठकों को साहित्य के माध्यम से इतिहास का मर्म समझा देती हैं। 1948 में जब देशी रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान बनाया था तब माउंट आबू राजस्थान में शामिल नहीं था। वह गुजरात को दे दिया गया था। सेठिया जी ने इसके विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया और 1956 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। "खण्डित राजस्थान" कविता में उनका आक्रोश एक एक शब्द से छलक रहा है। इस ग्रन्थ की 'नोआखाली' कविता ने स्वयं राष्ट्रिपता महात्मा गांधी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सेठिया जी को अपने हाथों से आशीर्वचन लिखकर भेजे थे। अपने ग्रन्थ "आज हिमालय बोला" के लिए वे कहते हैं कि, "क्षमा कायरता का पर्यायवाची है, आक्रामक पड़ोसी कि इस भ्रांत धारणा को अगर आने वाली पीढ़ी संशोधित कर सकी तो मूक हिमालय के बोलने की मेरी कल्पना निस्संदेह सत्य बन जाएगी।" इस संग्रह में "जननी की जय बोल", 'प्रयाण गीत', 'मोरचे का गीत!', 'विजय का गीत', 'अपना शीश चढ़ाओ तो' जैसी ओजपूर्ण रचनाएं अनायास ही पाठकों के मन में राष्ट्रप्रेम की लौ सुलगा देती हैं। इनमें चीन के ऊपर तंज कहती रचनाओं 'भ्रांत चीन', 'चंगेजिज्म', 'सिपाही का गीत', 'बर्बर चीनी' इत्यादि में 1962 के भारत–चीन युद्ध और चीन के दोगलेपन के प्रति रोष स्पष्ट झलकता है। समग्र एक का अंतिम ग्रंथ है "मर्म जो 1971 में प्रकाशित हुआ था , जिसके लिए स्वयं सेठिया जी लिखते हैं"–

अथ–इति मर्म मर्मज्ञों के लिए है
अल्पज्ञों और सर्वज्ञों के लिए नहीं।"

और सच में ऐसे समझने के लिए मर्मज्ञ होना आवश्यक है चंद शब्दों में महत्त बात रखी गई है जैसे अंजुलि में सागर भर लिया हो। इस ग्रंथ की किसी भी कविता में 9 से अधिक पंक्तियां नहीं है।कुछ कविताएं तो मात्र दो–दो पंक्तियों की ही हैं। इन कविताओं से प्रभावित होकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, "आपकी कविता क्या मंत्र ही हैं। ये छोटे–छोटे सूत्रों में जीवन का गहन रहस्य। बधाई!" कन्हैयालाल सेठिया जी ने उर्दू में भी 'ताजमहल' और 'गुलचीं' नाम से दो ग्रन्थों की रचना की। डॉ हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था "रचना नाज़ुक और नफ़ीस है.... यह तो नया ही रंग दिखाया आपने!" सेठिया जी के शब्दों का जादू उर्दू भाषा में भी बरक़रार रहा। सेठिया जी की कविताओं के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है," आपकी कविताएं आनंद देती हैं और हिंदी के भविष्य के विषय में आशा और उत्साह। बधाई!" 1947 में आप "हरिजन सेवक संघ" की अखिल भारतीय कार्यसमिति के सदस्य नियुक्त हुए। जब चुरु जिले के हरिजनों ने धर्मांतरण करने का निर्णय लिया तो आपके प्रयासों ने उन्हें निरस्त करवा दिया। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे। राजस्थानी भाषा में रचनाधर्मिता को कायम रखा और 14 ग्रन्थों का सृजन किया। भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने "पदचाप: प्रज्ञा पुरुष की" के नाम से सेठिया जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर फिल्म बनाई, जिसे दूरदर्शन के माध्यम से देश भर में प्रदर्शित किया गया। उनका अमर गीत 'धरती धोरां री' राजस्थान के कण–कण में जैसे रचा बसा है।

बालकवि बैरागी ने उस गीत के संदर्भ में सेठिया जी के लिए लिखा था," वे अपनी अकेली एक रचना के दम पर शाश्वत और सनातन है।" इस गीत में न केवल सेठिया जी को अपितु पूरे राजस्थान को साहित्य में एक अलग ही स्थान प्रदान करवा दिया था। सेठिया जी को संयुक्त राज्य अमेरिका संसद काँग्रेस लाइब्रेरी द्वारा "20वीं सदी के जीवित दिग्गज" के रूप में सम्मानित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार गौतम घोष ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी "धरती धोरां री –द लैंड ऑफ़ सैंड ड्यून्स", जिसे भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च गोल्डन लोटस सम्मान प्रदान किया गया था। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज उनकी 101 जयन्ती पर मैं महान् समग्र के दोनों खण्डों को अपने हाथों से सहेज रही हूं और स्व. कन्हैयालाल सेठिया जी जैसे परम् चिन्तक और साधक के बारे में लिख रही हूं। उस महान् जनकवि को शत् शत् नमन है।

–रचना सरन,
सदस्य -पश्चिम बंग हिंदी अकादमी, कोलकाता

राशिफल शुक्रवार 12 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, भरणी नक्षत्र दिन 11:59 तक, व्याघात योग दिन 1:43 तक, तैतिल करण प्रात: 9:59 तक, चन्द्रमा आज सायं 5:31 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–मेष, मंगल–कन्या, बुध–सिंह, गुरू–मिथुन, शुक्र–कर्क, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

ज्वालामुखी योग दिन 9:59 तक है। रवियोग 1:59 से आरम्भ होगा। आज छठ और कृत्तिका का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:47 तक, लाभ–अमृत 7:47 से 10:51 तक, शुभ 12:23 से 1:55 तक, चर 5:00 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:15, सूर्यास्त 6:32

मेष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

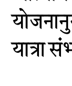

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

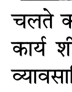

मिथुन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

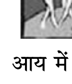

कर्क

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

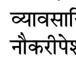

कन्या

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय बना रहेगा।

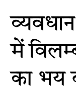

तुला

परिवार में प्रसन्नता–हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

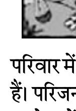

वृश्चिक

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु

परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

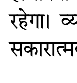

मकर

घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में वाद–विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

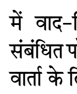

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

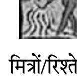

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटके कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेंगी।